MR. CHAIRMAN: Now we come to item 27. The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Nagaland make laws, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we take up Clause-by-Clause consideration. There are no amendments. Therefore, I will put Clauses 2 and 3 for adoption. The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. BRAHMANANDA RED-DY: I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.38 hrs.

DEFENCE OF INDIA (AMEND-MENT) BILL

THE MINISTER OF HOME AF-FAIRS (SHRI K BRAHMANANDA REDDY): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Defence of India Act, 1971, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

1168 LS-7

Sir, the Proclamation of Emergency was made by the President on 25th June 1975 in the context of threat to the security of India by internal disturbances. There was immediate need for enactment of a suitable law to meet the requirements of the emergent situation. The Defence of India Act, 1971, which was passed by the Parliament in the wake of Proclamation of Emergency made on 3rd December 1971 was meant provide for "special measures to ensure the public safety and interest, the Defence of India and civil defence and for the trial of certain offences and for matters connected therewith" in the perspective of threat to the security of India by external aggression. It was felt that the provisions of the Defence of India Act which had been found useful in dealing with a situation where the security of the country was threatened by external aggression could also be effectively used for dealing with the new Emergency which was declared when the security of India was threatened by internal disturbance. This, however, required the enlargement—this is the thing-of the scope of the Act to specifically cover the needs of the Proclamation made on the 25th June 1975. As the Parliament was not in session, the President had to promulgate the Defence of India (Amendment) Ordinance, 1975, on 30th June 1975, extend the Defence of India Act meet the requirements of threat to the security of India by internal disturbance. The present Bill seeks to replace the Ordinance.

As may be seen from its provisions. the Bill does not envisage any new powers which are not already available under Defence of India Act and the Rules framed thereunder, which are in force since the promulgation of the earlier Emergency on the 3rd December, 1971. All that the Bill seeks to achieve is to specifically extend the scope of the Defence of India Act to cover the requirements of

[Shri K. Brahmananda Reddy]

security. If you see the various clauses, they say "add internal security' after such and such word.

It proposes to rename the Defence of India Act accordingly as the Defence and Internal Security of India Act and introduce corresponding and consequential changes in such of the provisions of the Act which relate to 'civil defence' to make them include 'internal security' also.

The amendments proposed in the Bill are the minimum necessary for purposes of maintenance of internal security in the context of the Proclamation made on 25th June, 1975 to meet the threat to the security of India by internal disturbance. Care has also been taken to suitably amend Section 38 of the main Act so that the ordinary avocations of life and enjoyment of property are not interferred with unnecessarily, even while the provisions of the Act are resorted to for maintenance of internal security.

This is a simple amendment. I hope this House will pass it.

श्री सारखंडे राय (घोसी): मान्यवर, जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि राष्ट्रपति जी ने जो अध्यादेश जारी किया था, जसी को विश्वेषत कानूनी शक्त देने के लिए यह विधेषक लाया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा भीर यह बात भी रही है कि भारत रक्षा अधिनियम, जिसका क्षेत्र केवल बाहरी आक्रमण की सीमा तक ही था, आन्तरिक अशान्ति या गड़बड़ियों को रोक्याम करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, इस दृष्टिकोण से यह विधेयक लाया गया है।

श्रीमभः, जिन स्थितियों में यह शान्तक्षिक सुरक्षा कानून का सारा प्रधिकार संस्कार भपव हाथों में के रही है, उस से हम भच्छी तरह परिचित हैं। इसका कारम्ब गुजरात के स्वतः स्फूर्त भान्दोलन से माना जाता है। उस मान्दोलन को हम दो चरणों में बांट सकते है। एक तो स्वतः स्फूर्त आन्दोलन का रूप था भीर दूसरा चरण तब भाया जब वहां की प्रभावशाली पार्टियां उसमें दखल देने के लिए म्रा गई। तब से यह मान्दोलन भी विकृत हो गया भीर भ्रपने सही रारते से भटक गया। उससे अय प्रकाश जी को एक नई रोशनी मिली भीर उसी रोशनी का प्रयोग उन्होंने बिहार में करना शुरू किया। गुजरात भीर बिहार के ग्रान्दोलनों मे एक महत्वपूर्ण गणात्मक भ्रन्तर था। गुजरात का भान्दोलन स्वतः स्फूर्त विद्यार्थियों के भ्रान्दोलन से गुरू हुआ लेकिन बिहार का म्रान्दोलन सगठित तौर से ऊपर से थोपा हम्रा था दयं कि भ्रष्टाचार. बेकारी र्धार महंगाई केवल बिहार में ही नहीं रही थी श्रीर न है, वह तो सारे भारत में है श्रीर सारा भारत उससे बरत रहा है कोर बाज भी है चाह इमैंरजे सी से थोड़ी राहत जरूर मिली है ्ह सर्वमान्य बात है।

विहार में जय प्रकाश जी को सफलता नही मिली, न उनकी मांग के मुताबिक सरकार को भंग किया गया भीर न विधान सभा भंग की गई। वह एक प्रकार से कहा जाए तो बिहार में घसफल हो गये। उस घसफलता को छिपाने के लिए वह दूसरे प्रदेशों में भ्रमण के लिए गये भीर वहां पर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। इसका मतलब यह शा कि जो चिंगारी बिहार में लगाए थे, उसे पूरे देश में फैलाया जाए भीर बिहार में भ्रपनी भसफलता को छिपाने के लिए उन्होंने लोगों का ध्यान दूसरी जगहों पर झाकुष्ट किया ताकि लोग बिहार की असफलता को समझ म पाएं। इस लम्बी कहानी में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन मान्यवर, मैं इतना ही कहंगा कि जब तक जय प्रकाश जी का धान्दोलन

Defence of India (Amot.) Bill

बिहार में था तो वह बेचारा एक बेगुनाह भौर निदौंव जैसा लगता था भौर ऐसा माल्म होता था कि कुछ सुधारों के लिए वह धान्दो-लन हो रहा है। उनकी राजनीतिक दुर्रीभ-सन्धि का पता सबको नहीं था भौर पता नहीं कि सरकार को भी इसका पता था या नहीं। मुझे इसमें सन्देह लगता है कि सरकार को इसका पता था वरना इतनी लम्बी छूट नहीं दी जाती । अब मैं एक कदम भीर भागे बढ़ना चाहता हूं। इस दुरिभ सन्धि का पर्दा उस समय उठा जब दिल्ली में जयप्रकाण जी तणरीफ लाए और गैर-कम्य्िएट विरोधी दलों की एक मीटिंग उन्होंने की भीर उसमें उन्होंने राष्ट्रीय संग्राम समिति या देशनल कामाडी-नेशन कमेटी का निर्माण किया । उस समय कुछ बुद्धिजीवी जनों ने उसकी श्रमलियत को समझा श्रौर उमके पीछे क्या वात है उसको वे भाप पाए । उसमें जो गहरी राजनीति छिपी हुई थी, उस को वे समझ पाए। बाद की घटनामों से हम सब परिचित हैं खास तौर से यह बढ़ते बढ़ते 25 जून तक पहुंची भौर यह बात सही है कि ग्रगर 25 जून को सरकार ने हमला न किया होता भीर 29 जुन को जयप्रकाशजी श्रीर उनकी मंडली ने हमला कर दिया होता, तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश की स्थिति भ्राज दूसरी ही होती । इसलिए हमारे दल भीर हम लोगों ने हार्दिक समर्थन किया है इमरजेंसी कानून का भीर भान्तरिक सुरक्षा कानून के लाग् करने का और इस डी० ग्राई० ग्रार० के परिवर्तन का भी हम समर्थन करते हैं। एक बात जरूर है कि ग्रधिकार बेहद सरकार के हाथ में थे, सरकार के हाथ में भौर मधिकार दिया जा रहा है। सरकार स्वयं इन ग्रधि-कारों को ले रही है भीर इनके प्रयोग की भी सम्भावनाएं हैं। लेकिन मैं भापको बता दं कि भ्रम बहुत तरह से फैला हुआ है। यहां पर विरोधी दलों में से ही कुछ लोगों ने कहा कि जब हाईकोर्ट का फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसके विपरीत पूरी तरह से नहीं हुआ श्रीर श्रांशिक परिवर्तन के साथ

वह फैसला हुमा भीर गुजरात में कांग्रेस की जबरंस्त हार हुई, तब इस तरह का कदम उठाने की जरूरत पड़ी यानी जब सत्ता पर ख्तरा दिखाई पड़ा तब ज्ञान चक्षु खुल गये। इस प्रकार का प्रचार देश में है। ऐसे प्रचार को खंडित करने का प्रयास सरकार की ग्रोर से जम कर, संगठित रूप से भीर सफल तौर पर होना चाहिए।

मान्यवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत पुराने प्रसिद्ध नेता गोपा न जी ने कहा कि भारत सरकार ने समाजवादी देशों भीर सोविया यनियन भीर हेनोई तक को मिस-गाइड या मिसलीड किया है भीर उनमें भ्रम फैना दिया इसलिये ये समाजवादी देश इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं। मैं समन्नता हं कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी । सोवियत युनियन इतनी भ्रासानी से भ्रम में पड़ने वाला महाराष्ट्र नहीं है। भ्रभी तक इतिहास की कोई नजीर इसके बारे में पेण नहीं हुई है। दूसरे समाजवादी देश इतनी जल्दी भारत की इतनी स्पष्ट नीति पर भ्रमित हो जाएं, इसकी भी ग्राशंका नहीं की जा सकती । श्रीर हनोई, जिस हिनोई की वीर जनता ने डा० हो ची मिन्ह की बीर जनता ने 30 वर्ष के भन्दर चार-चार साम्राज्यवादी शक्तियों--फेंच, जापानी, ब्रिटिश और भ्रम-रीकी को ध्ल चटा दी, उस जनता को हिन्दु-स्तान की सरकार कैसे भ्रमित कर सकती है। ऐसा कहना समाजवादी देशों का घोर भ्रपमान है। गोपालन जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी।

मान्यवर, यह कुंठित विचारधारा है भौर सारे जगत में ऐसी विचारधारा पाई जाती है। जो विचारधारा नृशंस हत्यारे भौर नरराक्षस याहया खां का समर्थन कर सकती है लेकिन स्वत∗क्षा संग्राम के घमर से तानी श्री मुजीब्रेहमान का समर्थन नहीं कर सकती, जो पाकिस्तान के जन धान्दोलन का खुलेशाम विरोध करती, है, उसका समर्थन नहीं कर सकती, इस तरह की कुंठित विचारधारा से देश को बचाना चाहिए।

183 Defence of India (Amds.) JULY 28, 1975 Defence of India (Amidt.) Bill Bill

[श्री झारखंडे राय]

मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा। उन को भी पता होगा कि के इल दमन से ही काम नहीं चलेगा । इसीलिए 20 सूत्री प्रोग्राम की चर्चा की गई है। कहीं पर यह 20 सूत्री प्रोग्राम है भीर कहीं पर 21 सुन्नी प्रोग्राम, खैर मैं यह कहंगा कि 20 सुत्री प्रोग्राम की जो चर्चा की गई है वह बहत प्रशंसनीय भीर प्रगतिशील कदम है यद्यपि इनमें कोई वृनियादी नई बात नहीं है। एक यात मैं गृह मन्त्री जी से कहुं । भाप तो एक पूराने वयोवृद्ध कांग्रेसी हैं भीर बहुत से दौरों में ब्रापने कांग्रेस की सेवा की है भीर कांग्रेस के माध्यम से देश की भीर जनता की सेवा को है। ग्रावडी काग्रेस में भ्राप लोगों ने समाजवाद का प्रस्ताव पास किया था। 1971 में देग के मामने जिस तरह के वायदे किये गये थे, गरीबी हटात्रो या समाजवाद की तरफ बढ़ने की यह सर्व-विदित है।

ग्रभी हाल ही में नरौरा का डिसमी प्रोग्राम की चर्चा तर ! इस तरह के छोटे बडे स्तर के कैम्प सारे देश में लगे । वहां इन प्रोग्रामों की चर्चा हुई। ग्राबडी से लेहर ग्राज तक यह 20 या 21 मूली कार्यक्रम तक का एक बहुत लम्बा दौर है। मैं पूछना चाहन हं क्या ग्राप हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि भापने उन वादों को पूरा किया है, जो भ्रापने जनना के साथ किए थे? भ्राने नहीं किया है। यह मैं नही कह रहा हूं। यह विचार उन ग्रखबारों का है जो ग्रापके प्रवन समर्थक रहे हैं ग्रीर हैं। वैसे नो बहत से ग्रीर सैकड़ों ग्रखबार ग्रापके समर्थक है लेकिन जो प्रबल समर्थक हैं उनसे ही, सभापति महोदय, मैं ग्रापकी याजा में कछ उद्धरण ग्रापके सामने पेश करना चाहता हं जिसमे ग्रापको ग्रंदाजा हो सकता है कि किस तरह का भ्रम या सन्देह कांग्रेस के वादो पर बना हथा है। 'ब्लिट्ज' जो आपका बहुत भारी समर्थक है लिखता है:

> "संकट की घड़ी में जैसे भगवान् को याद किया जाता है, ठीक उसी तरह

कांग्रेस आज के बैमिसांस राजनीतिक संकट में फंस कर जनता से किए हुए वादों की माला जप रही है। ये वादे 1969 में बम्बई के कांग्रेस प्रधिवेशन से शुरू होकर पिछले वर्ष नरीरा में उच्च स्तरीय शिविर में तैयार किए 13 सूती कार्यक्रम तक फैले हुए हैं।"

मैं पूछना चाहता हूं कि इससे कोई सन्देह या शक की झलक मिलती है या नहीं मिलती है ?

'सेवाग्राम' की शिकायत को भी ग्राप देखे। यह अखबार सरकार ग्रीर कांग्रेस के बीस सूत्री प्रोग्राम का प्रबल समर्थक है। बरावर कांग्रेस के पक्ष में इसमें लेख निकलते रहते है। उसमें एक लाइन बड़े मार्के की छपी है। वह कहता है:

> "देश ने प्रधान मन्त्री के 20 सूती कार्यक्रम का खुले दिल से स्वागन किया है, पर जनता के दिल का चोर फिर पूछ वैठता है कि क्या सरकार उन कार्यक्रमों को ग्रमल में ला सकेशी?"

क्या यह चुनौती द्यापके लिए नहीं है ? ऐसे ही एक धौर ग्रखबार लिखता है :

"जनता ग्रपना वर्त्तव्य निभा रही है। हम मांग करे कि इंदिरा सरकार ग्रपने उन वादों की पूरा करे जो उसने जनता से किए थे। गरीबी हटाग्रो ग्रीर नरोरा प्रोग्राम निर्फ नारे नहीं रहने नाहिये बल्कि उन्हें ठोस ग्रमली रूप देना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है ताकि जनता के दुखों का समाधान हो सके ।"

एक और अखबार ने अपनी जो भावना प्रकट की हैं इस संदर्भ में उसको भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं। यह इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं शक की बात कर रहा हूं और मापका इतिहास लम्बी वादा खिलाफियों का इतिहास है। वह कहता है:

"इस स्थिति में यह समझना कि कांग्रेस ग्रासानी से जनता का विश्वास दुबारा प्राप्त कर सकेंगी, कोरी कल्पना होगी। कांग्रेस को ग्रपनी दो मुही नीतियों का छोड़ना होगा, जो उसके लिए ग्रासान नहीं है, क्योंकि बिड़लाग्रो, मोदियों, पोदारों, जैनियों ग्रौर सिघानियों की भी यही कोशिश है कि कांग्रेस जनता को धोखा देती रहे ग्रौर इन्ही दो मुही नीतियों पर चलती रहे।"

उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल का बहुत ही सर्व प्रिय साप्ताहिक 'पूर्वी संदेश' अखबार है जो कि बहुत प्रगतिशील अखबार है और हर कदम पर कांग्रेस का समर्थन करता रहता है और श्रीमती इंदिरा गांधी के हर एलान का समर्थन करता है ... उसने भूमि सुधारों के बारे में जो अपने भाव प्रकट किए है वे काफी रोचक भी हैं, और दर्दनाक भी । आज के शासक जो सत्ता में हैं और जो नये अधिकार इन संशोधनों से ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए एक सोचने बातें बात उसने पेश की है । वह कहता है:

''देश की ग्राजादी के पहले से ही इस बात पर सम्चित जोर दिया गया था कि देश की सामाजिक आधिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए भमि सम्बन्धों में कान्तिकारी तबदीलियां म्रावश्यक होंगी। इसीलिए देशवासियों स्वाभाविक ग्राशा पैदा हुई थी कि स्वतन्त्र होने के बाद धरती पर उसके बोने वालों का ग्रधिकार होगा, धरती का मालिक वह बनेगा जो उसे जोते बोयेगा । कोई यह नहीं कहता कि जूनि तम्बन्धों में सुधार हद बन्दी और बंटवारे का काम पलक झपकाते पूरा हो जाता लेकिन भाजादी के 27 वर्ष बाद भी भाज जो स्थिति है वह निश्चित रूप से ससह है।"

मागे वह लिखता है:

"सरकारी निष्चयों ग्रौर फैसलों के के बावजूद बिगत वर्षों में जमीन की जो छीन झपट, चोरी भौर बन्दरबांट हुई है उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम सभी सरकार इन गलत कार्यों को रोकने श्रीर ऐसा करने वालों को कोई भी सजा दे पाने में ग्रसमर्थ रही है । उलटे म्राज भी जमीन चोरी करने वाले समाज में पर्याप्त हैं, उन्हें सामाजिक मर्यादा मिली हुई है भौर भूमि शायण व उत्पीडन का शिकार हैं। भमि सम्बन्धों में सुधार के जो भांकड़े पेश किए जाते हैं वे भ्रधिकांशतः कागजी हैं। फालतु जमीनों के भावंटन के पट्टे भूमिहीन ले कर वर्षों से घूम रहे हैं भीर उन जमीनों पर भ्राज भी प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। बडे लोगों की जमीन तो फालतू हो ही नहीं पाई है, उन्होंने ग्रपनी जमीनें कृत्ते. बिल्लियों तक के नाम दर्ज करा डाली है या फर्जी तौर पर बेचीनामा कर डाला है जब कि मौके पर वही काबिज है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधारों के सम्बन्ध में ग्रगुग्रा माना जाता है लेकिन यहां भ्रब बेनामी खातेदारों को नोटिस देने की बात की जा

थि। झारखंडे राय]

रही है भीर प्रभावशाली व्यक्ति इसे किस हद तक कारगर होने देंगे यह कह पाना कठिन है। केन्द्रीय कानुन मंत्री श्री एच० मार० गोखले ने मभी हाल में इस बात पर घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक आत की ग्रोर भी स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में कोई ऐसी धारा नही है जो कान्तिकारी भूमि सुधारो के रास्ते में रोडे भ्रटकाए। प्रश्नयह उठता है कि ग्राखिर ग्रब तक इच्छित भमि मुधार क्यो नहीं हुए ? निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा भीर दढता की कमी ही इसका कारण है। सत्तधारी लोग काननो भवहेलना करने वाले प्रभाव-शाली भौर धनी व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का साहस ही नही जटा पाए। लेकिन भव ऐसा करने से कतराना उनके लिए ही घातक होगा । ग्रगर किसी और बात के लिए नही तो कम से कम ग्रपने ग्रस्तित्व के लिए ही उन्हे साहस के साथ कदम ग्रागे बढाना होगा।"

इमरजेंसी तथा सला का दूरपयोग भी शुरू हो गया है। मैं नजीर पेश करूंगा। मिर्जापूर जनपद में रेणुकोट में हिडालको नाम का एशिया का सब से बडा एल्युमीनियम का कारखाना है। यह बिड़ला बन्ध्यों का है। उसके सर्वमान्य मजदूर नेता लल्लन राय, जो हिंडालको प्रगतिशील मजदूर सभा के वर्किग प्रेजीडेट हैं, ने वहां के मैनेजर भीर डायग्वटर श्री कोठारी को एक । इंट्ठी लिखी कि हम भीर भाप मिल कर उत्पादन बढाए ग्रीर जो मतभेद ग्रीर झगडे है उनको मुल्तवी रखे भीर दिपक्षीय वार्ता से सब मामलो को निपटाए । कोठारी साहब जो घनश्याम दास बिडला के बहुत चहेते है, श्री लल्लन राय को जवाब देते है कि ग्रापके विक्रत मस्तिष्क के मुझाबो की हमे कोई जरूरत नही है। हिंडालको के प्रबन्धक सक्षम है ग्रपनी व्यवस्था करने में। यह कैपिटल ना रुख है लेबर की भ्रोर । देश के सकट की इस घड़ी में लेबर सहयोग ग्रौर सहकार का हाथ ग्रागे बढाती है ग्रीर पुजी उस पर ठोकर मारती है।

MR. CHAIRMAN: The hon Member may continue tomorrow.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 29, 1975/Sravana 7, 1897 (Saka).